न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामंचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2024/126 दायरा दिनांक : 24.07.2024

उनवान

1– राजेन्द्र कुमार आयु 50 वर्ष पुत्र रमेशचन्द, जाति ब्राहमण, निवासी केलवाड़ा, तहसील शाहाबाद, जिला बारां राज0

2– जितेन्द्र कुमार आयु 45 वर्ष पुत्र रमेशचन्द, जाति ब्राहमण, निवासी केलवाड़ा, तहसील शाहाबाद, जिला बारां राज0

3– सुमनदेवी पत्नि स्व० रमेशचन्द जाति ब्राहमण, निवासी केलवाडा, तहसील शाहाबाद,जिला बारां राज0 (मृतक)

.... अपीलांट

बनाम

1– माफीमंदिर श्री लछमनजी महाराज बिराजमान देह सीताबाडी (केलवाड़ा), तहसील शाहाबाद, जिला बारां राज० जर्ये वाद मित्र जसविन्दरसिंह साबी पुत्र जसवंतसिंह, उम्र 42 वर्ष, जाति जट सिक्ख, निवासी गणेशपुरा, तहसील किशनगंज, जिला बारां राज0 हाल सदस्य सीताबाडी विकास समिति केलवाडा

2– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार शाहाबाद जिला बारां राज०

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 225
राजस्थान काश्तकारी अधिनियमं 1955

उपस्थित– श्री महेश प्रकाश गौतम अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री बृजराज सिंह चौहान अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 14.02.2025

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहाबाद के प्रकरण संख्या 03/2018 निर्णय दिनांक 12.06.2024 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोडेंट नेएक वाद अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया और यह कथन किया कि वाके ग्राम केलवाडा, पटवार हल्का केलवाडा, तहसील

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

शाहाबाद में आराजी खसरा नम्बर 420/635 रकबा 0.03 बीघा किस्म खेडा–2 तथा आराजी खसरा नम्बर 460 रकबा 12.11 बीघा किस्म बारानी तृतीय किता 2 कुल रकबा 12.14 बीघा स्थित है।अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहाबाद ने अपने निर्णय दिनांक 12.06.2024 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया, जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि प्रार्थी/रेस्पोडेंट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध अपीलान्ट्स/अप्रार्थीगण व राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार शाहाबाद के विरूद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम केलवाडा, तहसील शाहाबाद में आराजी कुल किता 2 कुल रकबा 12.14 बीघा स्थित है जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अप्रार्थी कम 1 लगायत 3 के नाम दर्ज है जिसे प्रार्थना पत्र में विवादित आराजियात के नाम से सम्बोधित किया गया है। ग्राम केलवाडा से लगा हुआ पवित्र धार्मिक तीर्थस्थल सीताबाडी स्थित है। इसी पवित्र तीर्थस्थल सीताबाडी में प्राचीन श्री लछमन जी महाराज का मन्दिर स्थित है जो सनातन आम हिन्दू जन की आस्था श्रद्धा का केन्द्र एवं पूजन स्थल है। इन्हीं श्री लछमन जी महाराजबिराजमान देह सीताबाडी के खाते की आराजी खसरा नम्बर 55 रकबा 3.07 बीघा काजू व आराजी खसरा नम्बर 505 रकबा 12.15 बीघा कुंवा वाली किता 2 कुल रकबा 16.02 बीघा भूमि स्थित रही है जो राजस्व रिकार्ड जमाबंदीग्राम केलवाड़ा, तहसील शाहाबाद में सम्वत 2000 से 2015 तक बदस्तूर दर्ज रही है। उक्त आराजी खसरा नम्बर 55 रकबा 3.07 बीघा काजू व आराजी खसरा नम्बर 505 रकबा 12.15 बीघा कुंवा वाली किता 2 रकबा 16.02 बीघा राजस्व रिकार्ड जमाबंदीसम्वत 2000–2003 में श्री लछमन जी बिराजमान सीताबाडी के खाते दर्ज होकर बकब्जा घासीलाल बेटा आनन्दीलाल बविलायत मुस0 रामचन्द्री तथामदनगोपाल बेटा कन्हैयालाल, जाति ब्राहमण वास गांव बांट बराबर का नाम दर्ज रहा है तदोपरान्त दोनों कब्जाधारी घासीलाल व मदनगोपाल में से सर्वप्रथम मदनगोपाल ला–औलाद फौत हो गये जिनके स्थान पर फौती नामान्तरकरण नम्बर 410 से बतौर कब्जाधारी बेवा मुसम्मात सुरजा का नाम दर्ज हुआ इसके बाद घासीलाल तथा घासीलाल की संरक्षिका अर्थात वली मुसम्मात रामचन्द्री की भी मृत्यु हो गई जिनके स्थान पर नामान्तरकरण नम्बर 465 से रिश्ते में भोजाई अर्थात बड़े भाई की पत्नि होने से मुसम्मात सुरजा का नाम दर्ज हुआ। इस प्रकार मंदिर माफी लछमनजी महाराज बिराजमान सीताबाडी के खाते की उक्त वर्णित आराजी पर बकब्जा अकेली मुसम्मात सुरजा बेवा मदनगोपाल का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2004–2007 में दर्ज हो गया जो राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2008–2011 व 2012–2015 में बदस्तूर दर्ज रहा चूंकि हिन्दू धर्म की परम्परा मुताबिक मंदिर की सेवा पूजा औरत नहीं करती। इस कारण घासीलाल व मदनगोपाल की मृत्यु उपरान्त उक्त मन्दिर की

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पूजा कब्जाधारी सुरजा की तरफ से अप्रार्थी कम 1 व 2 के दादाजी तथा अप्रार्थीया कम 3 के ससुर सुखदेव करने लगे। जिसका उल्लेख संलग्न जमाबंदी सम्वत 2004–2007 में दर्ज है। तत्पश्चात तहसील शाहाबाद में सैटलमेंट हुआ और सैटलमेंट एजेन्सी ने मंन्दिर माफी लछमन जी महाराज बिराजमान सीताबाड़ी के खाते की उक्त वर्णित आराजी खसरा नम्बर 55 रकबा 3.07 बीघा काजू व आराजी खसरा नम्बर 505 रकबा 12.15 बीघा कुंवा वाली किता 2 कुल रकबा 16.02 बीघा को संधारित सैटलमेंट जमाबंदी सम्वत 2020–2039 में बिना किसी सक्षम अधिकारिता के सैटलमेंट पूर्व से दर्ज खातेदार मन्दिर माफी लछमन जी महाराज बिराजमान सीताबाड़ी के नाममात्र खसरा नम्बर 230 से 11 बिस्वा भूमि रखते हुए शेष भूमि कब्जाधारी मुसम्मात सुरजाबाई के नाम खाते दर्ज कर दी जिसका परिवर्तित खसरा नम्बर 460 रकबा 12.11 बीघा डोली व खसरा नम्बर 420/635 रकबा 0.03 बीघा दर्ज कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि दौराने सैटलमेंट तहसील शाहाबाद का खसरा मिलान तैयार नहीं किया गया परन्तु सैटलमेंट पूर्व मुसम्मात सुरजा के नाम से पृथक कोई खाता दर्ज नहीं रहा है और मन्दिर माफी लछमण जी महाराज बिराजमान सीताबाड़ी के खाते की उक्त आराजी पर मुसम्मात सुरजा बहैसियत कब्जाधारी दर्ज रही है साथ ही सैटलमेंट पश्चात परिवर्तित खसरा नम्बर 460 डोली दर्ज है इससे स्पष्ट है कि विवादित आराजी के सैटलमेंट पश्चात खसरा नम्बर 460 व 420/635 बने हैं। मंदिर माफी लक्षमण जी महाराज बिराजमान सीताबाडी के खाते की उक्त वर्णित आराजियात की एक रजिस्टर्ड वसीयत सैटलमेंट पूर्व दर्ज कब्जाधारी एवं सैटलमेंट पश्चात विधि विरूद्ध दर्ज खातेदारानमुसम्मात सुरजा बेवा मदनगोपाल ने दिनांक 04/01/1984 को अप्रार्थी कम 1 व 2 के पिता तथा अप्रार्थीया कम 3 के पति रमेशचन्द वल्द सुखदेव, जाति ब्राहमण के हक में पंजीयन करा दी परन्तु मुसम्मातसुरजा के जीवनकाल में ही वसीयतगृहिता रमेशचन्द वल्द सुखदेव की सड़क दुर्घटना में दिनांक 15/07/1995 को मृत्यु हो गई। इस दुर्घटना बाबत अन्ता थाने में प्रकरण संख्या 216/95 दर्ज हुआ जिसमें आरोप पत्र भी न्यायालय में पेश किया गया और वसीयतगृहिता रमेशचन्द्र की मृत्यु होने के 6 वर्ष बाद दिनांक 14/01/2001 को वसीयतकर्ता मुसम्मात सुरजा की मृत्यु हुई है चूंकि वसीयतकर्ता के जीवित रहते हुए वसीयतगृहिता की मृत्यु हो जाने से उपरोक्त वसीयत दिनांक 04/01/1984 स्वतः ही एक प्रभावशून्य एव अमान्य दस्तावेज हो गया इसके बावजूद भी वसीयतकर्ता मुसम्मात सुरजा की मृत्यु हो जाने के पश्चात अप्रार्थीगण ने मिलकर तत्कालीन राजस्व कर्मियों व नामान्तरकरण एजेन्सी से सांठ गांठ कर उक्त प्रभावशून्य एवं अमान्य दस्तावेज वसीयत दिनांक 04/01/1984 के आधार पर मन्दिरमाफी की उक्त विवादित भूमि फर्जी एवं अवैद्यानिक तरीके से षडयंत्रपूर्वक नामान्तरकरण नम्बर 738 दिनांक 09/07/2001 के जरिये अपने नाम दर्ज करा हड़प कर ली है। इस प्रकार ग्राम केलवाड़ा, तहसील शाहाबाद स्थित मन्दिर माफी

(दीपि समचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

लछमन जी महाराज बिराजमान सीताबाड़ी के खाते की उक्त वर्णित आराजी खसरा नम्बर 55 रकबा 3.07 बीघा काजू व आराजी खसरा नम्बर 505 रकबा 12.15 बीघा कुंवा वाली किता 2 कुल रकबा 16.02 बीघा को दर्ज कब्जाधारी मुसम्मात सुरजा बेवा मदनगोपाल ने सैटलमेंट एजेन्सी से मिलकर संधारित सैटलमेंट जमाबन्दी सम्वत 2020–2039 में बिना किसी सक्षम अधिकारिता के अपने नाम खाते दर्ज करा ली। इतना ही नहीं मुसम्मात सुरजा ने उक्त भूमि षडयंत्रपूर्वक अप्रार्थी कम 1 व 2 के पिता व अप्रार्थीया कम 3 के पति रमेशचन्द के हक में दिनांक 04/01/1984 को वसीयत कर दी। चूंकि वसीयतकर्ता मुसम्मात सुरजा के जीवनकाल में ही वसीयतगृहिता रमेशचन्द्र की मृत्यु हो जाने से उक्त वसीयत एक प्रभावशून्य एवं अमान्य दस्तावेज हो गया था इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ने उक्त वसीयत के आधार पर मन्दिर माफी लछमन जी महाराज के खाते की उक्त वर्णित भूमि षडयंत्रपूर्वक अपने नाम दर्ज कराकर बैंक को रहन रख दी। विवादित आराजी खसरा नम्बर 420/635 रकबा 0.03 बीघा किस्म खेडा–2 तथा आराजी खसरा नम्बर 460 रकबा 12.11 बीघा किस्म बारानी–3 किता 2 कुल रकबा 12.14 बीघा जो अप्रार्थीगण ने अपने नाम खाता दर्ज करा रखी है, मूल रूप से माफी मन्दिर श्री लछमन जी बिराजमान सीताबाड़ी शाश्वत नाबालिग अर्थात प्रार्थी के खाते की है जिस पर प्रार्थी अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा करा विवादित आराजियात को राजस्व रिकार्ड में पुनः अपने नाम खाता दर्ज कराने का हकदार है। इस हेतु पृथक से वाद पेश है। प्रार्थी ग्राम गणेशपुरा, तहसील किशनगंज का निवासी होकर सीताबाड़ी विकास समिति, केलवाडा का सदस्य भी है जो अपने पूर्वजों के समय से उक्त मन्दिर श्री लछमन जी महाराज के प्रति अटूट आस्था एवं श्रद्धा का भाव रखता है तथा मूर्ति मन्दिर के कब्जाधारियों द्वारा मूर्ति मन्दिर की उक्त वर्णित आराजियात को पूर्णतया विधि, विरूद्ध तरीके से सैटलमेंट एजेन्सी से सांठ गांठ कर अपने नाम दर्ज करा ली है जो अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य विधि विरूद्ध एवं निन्दनीय है। इस कारण जसविन्दरसिंह साबी सिर्फ और सिर्फ मूर्ति मन्दिर के हितों की रक्षार्थ मन्दिर मूर्ति के हित में माननीय न्यायालय की इजाजत से मन्दिर माफीलछमन जी महाराज बिराजमान देह सीताबाड़ी तह० शाहाबाद का वाद मित्र होकर सम्माननीय न्यायालय की अनुमति से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहा है। अप्रार्थीगण का कृत्य विधि विरूद्ध एवं मनमाना हैतथा अप्रार्थीगण विवादित आराजी को प्लाट बनाकर विक्रय करने एवं खुर्द बुर्द करने पर आमादा हो रहे है। वाद मित्र ने इसकी शिकायत अप्रार्थी कम 4 से भी की परन्तु उन्होंने आज तक उक्त विवादित आराजियात को मन्दिर माफी श्री लछमन जी बिराजमान सीताबाड़ी के नाम दर्ज करने का कोई प्रयास नहीं किया। यदि अप्रार्थीगण अपने उक्त मंसूबे में कामयाब हो गये तो शाश्वत नाबालिग माफी मन्दिर श्री लछमन जी महाराज के खाते की उक्त आराजी खुर्द बुर्द हो जावेगी। जिससे मन्दिरमूर्ति के हितों पर विपरीत प्रभाव पडेगा और अनावश्यक लिटीगेशन पैदा होगा। इस कारण प्रार्थी का

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

प्रार्थना पत्र वास्ते अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को ता निर्णय वाद पाबंद फरमाया जावे कि वे विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 420/635 रकबा 0.03 बीघा किस्म खेड़ा 2 तथा खसरा नम्बर 460 रकबा 12.11 बीघा बारानी–3 कुल किता 2 कुल रकबा 12.14 बीघा ग्राम केलवाड़ा, तहसील शाहाबाद के किसी भी भाग को किसी भी प्रकार से अन्तरित अथवा अन्य प्रकार से खुर्द बुर्द नहीं करें। अन्य न्यायोचित सहायता जो मुनासिब हो मन्दिरमूर्ति के हित में प्रदान की जावे।

यह कि बाद जवाब एवं सुनने बहस अधीनस्थ न्यायालय ने आवेदन रेस्पोडेंट/प्रार्थी स्वीकार कर आदेश प्रदान किया कि अप्रार्थी क्रम 1 ता 3 को मूल वाद के निर्णय होने तक जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वे विवादित भूमि खसरा नम्बर 420/635 रकबा 0.03 बीघा किस्म खेडा–2 एवं आराजी खसरा नम्बर 460 रकबा 12.11 बीघा किस्म बारानी तृतीय स्थित ग्राम केलवाडा, तहसील शाहाबाद के किसी भी भाग को किसी भी प्रकार से अन्तरित नहीं करेंगे, ना ही खुर्द बुर्द करेंगे और ना ही कोई कच्चा पक्का निर्माण आदि करेंगे। जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की जा रही है।

आदेश अधीनस्थ न्यायालय पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य एवं विधि तथा न्याय के मान्यता प्राप्त सिद्धान्तों के विपरीत होने से प्रथम दृष्टया ही निरस्तनीय है। प्रार्थी/रेस्पोडेंट द्वारा दौराने वाद/प्रार्थना पत्र अपीलान्ट क्रम 3 सुमन देवी का स्वर्गवास दिनांक 14/03/2024 को हो जाने की जानकारी रखते हुए किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं करवाया। मृतक अपीलान्ट क्रम 3 के विरूद्ध आदेश प्रदान किया गया है जो निरस्तनीय है। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वाद एवं प्रार्थना पत्र में अपीलान्ट क्रम 3 रिकार्ड पर थी, इसलिए उसे इस अपील में भी आवश्यक पक्षकार होने से प्रोफार्मा पक्षकार बनाया गया है। अप्रार्थीगण/अपीलान्ट्स विवादित आराजी के रिकार्डेड खातेदार कृषक कब्जे काश्त में 60 वर्षों से चले आ रहे है फिर भी विचारण न्यायालय ने उनके विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर कानूनी त्रुटि की है। विवादित बतायी आराजी अपीलान्ट/अप्रार्थीगण के नाम खाते में वैधानिक प्रक्रिया से दर्ज होकर खातेदारी कब्जे काश्त में लगातार चली आ रही है जिसे रहन रखते हुए लगातार के.सी.सी. योजना, राजस्थान सरकार का लाभ अपीलान्ट्स उठाते आ रहे है। आदेश अस्थायी निषेधाज्ञा प्रभावी रहने की स्थिति में अपीलान्ट्स के विधिक खातेदारी अधिकारों का हनन होगा।

विवादित आराजी को बिना किसी दस्तावेजी साक्ष्य, पर्चा मिलान क्षेत्रफल के आधार पर विवादित आराजी के सैटलमेंट पश्चात खसरा नम्बर 460 व 420/635

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

मानते हुए एवं विवादित भूमि का खसरा नम्बर 55 व 505 कभी भी नहीं रहने के बावजूद भी आदेश प्रदान कर त्रुटि की है। विवादित आराजी कभी भी माफी की नहीं रही है। अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट द्वारा तथ्य छुपाये गये है। मात्र 11 बिस्वा जमीन रहना गलत है। खसरा नम्बर 87 की 8 बीघा भूमि लछमन जी महाराज के खाते आज भी है। वादी रेस्पोडेंट द्वारा वाद मित्र माफीमन्दिर लछमनजी एवं सीताबाडी विकास समिति का हाल सदस्य बताकर वाद प्रस्तुत किया है जिसे वाद लाने का कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थी/रेस्पोडेंट कभी भी सीताबाडी विकास समिति का सदस्य नहीं रहा है और ना वर्तमान में है। उसने गलत तौर पर वाद मित्र बनकर वाद एवं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उसे वाद लाने का कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थना पत्र में आराजी मुसम्मात सुरजा के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होना स्वीकारोक्ति है फिर भी प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है।विवादित आराजी पर किसी भी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण करने का कोई प्रयास नहीं है और ना कोई साक्ष्य इस बाबत पत्रावली पर है। मात्र कयास के आधार पर निर्माण करना व विक्रय करना मानकर आदेश पारित कर त्रुटि की है। प्रार्थी/रेस्पोडेंट ने पूर्व में इन्हीं तथ्यों पर एक प्रथम सूचना रिपोर्ट कमांक 28/2017 थाना केलवाडा पर दिनांक 03/02/2017 को दर्ज करवायी थी जिसमें पुलिस द्वारा विस्तृत अनुसंधान कर एफ.आर. न्यायालय में पेश की है। सक्षम न्यायालय द्वारा एफ.आर. स्वीकार की गई है। फिर भी प्रार्थी स्वयं आपराधिक प्रवृति का रिकार्ड रखते हुए अनुचित उद्देश्य की पूर्ति में यह वाद/प्रार्थना पत्र लाया है जो कानून अनुसार कतई पोषणीय नहीं है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट्स/अप्रार्थीगण स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 12/06/2024 अपास्त फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 रेस्पोडेंट खारिज फरमाया जावे।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराया और कथन किया कि विवादित आराजी अपीलांट के खाते दर्ज है। जसविंदर सिंह वाद मित्र बनकर आया है। मंदिर की समिति का ना तो वह सदस्य और ना ही अध्यक्ष इस कारण वाद लाने का अधिकार जसविंदर सिंह को नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय में सुमन की मृत्यु दिनांक 14/03/2024 को हो गयी जबकि दिनांक 12/06/2024 को प्रकरण में निर्णय पारित कर दिया। वादग्रस्त आराजी का खातेदार टीनेन्ट है वादग्रस्त आराजी पर 60 साल से पजेशन है। राज्य सरकार और केन्द्र सरकार की योजनाओं का लाभ प्राप्त किया हुआ है। वादी ने विवादित आराजी का मिलान क्षेत्रफल पेश नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने खसरा

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

नम्बर 55 व 505 को खसरा नम्बर 460, 435 माना है। अधीनस्थ न्यायालय ने खसरा मिलान के बिना ही वाद स्वीकार किया है जो विधि विरूद्ध है। जसविन्दर सिंह आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है जिसके बाबत हमने रेकार्ड पेश किया है। सीताबाडी विकास समिति का संविधान प्रस्तुत किया है जिससे यह स्पष्ट है कि अपीलांट समिति का सदस्य नहीं है। सन् 1995 में ऐसा ही प्रकरण दर्ज हुआ जिसमें एफ.आर. लगी है जो पत्रावली में सलंग्न है। संभागीय आयुक्त ने केवल जिला कलेक्टर को उचित कार्यवाही के लिए पत्र प्रेषित किया है सदस्य नहीं माना है। आदेश धारा 212 पूर्व दिनांक 30/09/2002 समान प्रकृति का खारिज हुआ है।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस कथन किया कि विकास समिति के सदस्य हैं। सुरजा से वादग्रस्त आराजी रमेश के आयी है, वसीयतगृहिता की मृत्यु वसीयतकर्ता सुरजा की मृत्यु से पहले हुई। दिनांक 15/07/1995 वसीयत समाप्त हो चुकी थी। मंदिर की समिति की सुरक्षा हेतु वाद दायर किया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही है। न्यायालय की अनुमति से वाद दायर किया है अतः अपील खारिज की जाये।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मंनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी रेस्पोडेंट कम 1 द्वारा अन्तर्गत धारा – 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रार्थना पत्र वाद मित्र की हैसियत से प्रस्तुत कर मुख्य रूप से कथन किया है कि ग्राम केलवाडा, तहसील शाहबाद में आराजी खसरा नं. 420/635 रकबा 0.03 बीघा तथा खसरा नं. 460 रकबा 12.11 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 12.14 बीघा स्थित है, जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में अप्रार्थी कम 1 लगायत 3 के नाम दर्ज है, जिसे प्रार्थना पत्र में विवादित आराजियात के नाम से संबोधित किया गया है। प्रार्थी रेस्पोडेंट कम 1 का कथन है कि उक्त विवादित आराजियात के साबिक खसरा नं. 55 रकबा 3.07 बीघा व खसरा नं. 505 रकबा 12.15 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 16.02 बीघा रहे है, जो श्री लछमन जी महाराज विराजमान देह सीताबाडी के खाते संवत 2000 से लेकर 2015 तक बदस्तुर दर्ज रही है। तत्पश्चात् तहसील शाहबाद में सेटलमेंट हुआ और सेटलमेंट एजेन्सी ने मंदिर माफी लछमन जी महाराज विराजमान सीताबाडी के खाते की उक्त वर्णित आराजी खसरा नं. 55 रकबा 3.07 बीघा व खसरा नं. 505 रकबा 12.15 कुल किता 2 कुल रकबा 16.02 बीघा आराजी को सेटलमेंट जमाबंदी संवत 2020–39 में बिना किसी सक्षम अधिकारिता के सेटलमेंट पूर्व से दर्ज खातेदार मंदिर माफी लछमन जी महाराज

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

विराजमान सीताबाडी के नाम मात्र खसरा नं. 230 से 11 बिस्वा भूमि रखते हुए शेष भूमि कब्जाधारी मुसम्मात सुरजा के नाम दर्ज कर दी। उल्लेखनीय है कि दौराने सेटलमेंट तहसील शाहबाद का खसरा मिलान तैयार नहीं किया गया परंतु सेटलमेंट पूर्व मुसम्मात सुरजा के नाम पृथक कोई खाता दर्ज नहीं रहा है और मंदिर माफी लछमन जी महाराज सीताबाडी के खाते की उक्त आराजी पर मुसम्मात सुरजा बहैसियत कब्जाधारी दर्ज रही है, साथ ही सेटलमेंट पश्चात् परिवर्तित खसरा नं. 460 डोली दर्ज है, इससे स्पष्ट है कि विवादित आराजी के सेटलमेंट पश्चात् खसरा नं. 460 व 420/635 बने हैं। उक्त आराजी की एक रजिस्टर्ड वसीयत सुरजा बेवा मदनगोपाल ने दिनांक 04.01.1984 को अप्रार्थी कम 1 व 2 के पिता तथा अप्रार्थी कम 3 के पति रमेशचन्द वल्द सुखदेव के हक में पंजीयन करा दी परंतु सुरजा के जीवनकाल में ही वसीयतगृहिता रमेशचन्द की सडक दुर्घटना में दिनांक 15.07.1995 को मृत्यु हो गई। वसीयतगृहिता रमेशचन्द की मृत्यु के 6 वर्ष बाद दिनांक 14.01.2001 को वसीयतकर्ता सुरजा की मुत्यु हुई है, चूंकि वसीयतकर्ता के जीवित रहते हुए वसीयतगृहिता की मृत्यु हो जाने से उपरोक्त वसीयत दिनांक 04.01.1984 स्वतः ही एक प्रभावशून्य एवं अमान्य दस्तावेज हो गया। इसके बावजूद अप्रार्थीगण ने राजस्वकर्मियों से सांठ–गांठ कर उक्त प्रभावशून्य एवं अमान्य दस्तावेज वसीयत 04.01.1984 के आधार पर मंदिर माफी की उक्त विवादित भूमि फर्जी एवं अवैधानिक तरीके से षडयंत्रपूर्वक नामांतरण नम्बर 738 दिनांक 09.07.2001 से अपने नाम दर्ज करा कर हडप ली है। अप्रार्थीगण विवादित आराजी को प्लाट बनाकर विक्रय करने एवं खुर्द–बुर्द करने पर आमदा है। यदि अप्रार्थीगण अपने उक्त मंसूबे में कामयाब हो गये तो शाश्वत नाबालिग माफी मंदिर श्री लछमन जी महाराज के खाते की उक्त आराजी खुर्द–बुर्द हो जायेगी, जिससे मंदिर मूर्ति के हितों पर विपरीत प्रभाव पडेगा। अतः प्रार्थना पत्र वास्ते अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को ता निर्णय वाद पाबंद फरमाया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी रेस्पोडेंट कम 1 द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किये उक्त तथ्यों को पूर्णतः सही मानकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विवादित आराजी के रिकार्डेड खातेदार अप्रार्थी कम 1 ता 3 को मूल वाद के निर्णय तक जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद करते हुए यह आदेश पारित किया कि अप्रार्थीगण विवादित आराजी के किसी भी भाग को किसी भी प्रकार से अंतरित नहीं करेंगे ना ही खुर्द–बुर्द करेंगे और ना ही कोई कच्चा पक्का निर्माण आदि करेंगे। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अपीलाधीन निर्णय में धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तीनों मुख्य बिन्दु प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति पर कोई विवेचन या निष्कर्ष अंकित नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यही प्रतीत होता है

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

कि अधीनस्थ न्यायालय ने मूल वाद के विचारण बिन्दु जैसे विवादित आराजी की खातेदार सुरजा बेवा मदनगोपाल की सेटलमेंट विभाग द्वारा खातेदारी अधिकार गलत रूप से प्रदान करना, खातेदार सुरजा द्वारा रमेशचन्द के पक्ष में निष्पादित रजिस्टर्ड वसीयत व वसीयत के आधार पर दर्ज नामान्तरण संख्या 738 दिनांक 09.07.2001 का गलत होना, विवादित आराजी मूर्ति मंदिर लछमण जी महाराज सीताबाडी के खाते की आराजी होना स्वीकार करते हुए एवं पत्रावली पर विवादित आराजी पर प्लॉट काटकर खुर्द–बुर्द करने एवं निर्माण करने संबंधी कोई दस्तावेजी साक्ष्य या रिपोर्ट की अनुपलब्धता होने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह स्वीकार करते हुए प्रार्थी का अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नं. 420/635 रकबा 0.03 बीघा किस्म खेडा 2 तथा आराजी खसरा नं. 460 रकबा 12.11 बीघा किस्म बारानी तृतीय अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न नकल फोटो कॉपी जमाबंदी संवत 2071–74 के अनुसार अप्रार्थीगण अपीलांट के खाते दर्ज रिकार्ड है। इसी प्रकार नकल फोटो कॉपी जमाबंदी सवंत 2000 से 2003, सवंत् 2004 से 2007, सवंत् 2008 से 2011, सवंत् 2012 से 2015 के अनुसार खसरा नं. 55 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा किस्म काजू, खसरा नं. 505 रकबा 12 बीघा 15 बिस्वा किस्म उतार अव्वल माफी मंदिर श्री लछमन जी महाराज विराजमान सीताबाडी व कब्जा खातेदार वाले कॉलम में विभिन्न अवधि में धारा 212 के प्रार्थना पत्र में उल्लेखितानुसार विभिन्न कब्जेदार/खातेदार का नाम दर्ज रिकार्ड रहा है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में विवादित आराजी को माफी मंदिर श्री लछमन जी विराजमान सीताबाडी के खाते की आराजी होना बताया है परंतु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न जमाबंदियों की विभिन्न छायाप्रतियों के अवलोकन से यह स्वतः स्पष्ट है कि विवादित आराजी व माफी मंदिर की आराजी के खसरा नं., रकबा व किस्म भिन्न– भिन्न है। विवादित आराजी माफी मंदिर की आराजी है इसे साबित करने हेतु प्रार्थी द्वारा कोई मिलान क्षेत्रफल प्रस्तुत करना अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट नहीं होता। इसके विपरीत प्रार्थी ने यह कथन किया है कि दौराने सेटलमेंट तहसील शाहबाद का खसरा मिलान तैयार नही किया गया और प्रार्थी के इस कथन को अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी जांच रिपोर्ट के स्वीकार करने में विधिक त्रुटि की है। इस संदर्भ में तहसीलदार अप्रार्थी क्रम 4 से रिपोर्ट प्राप्त की जानी चाहिए थी। अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र का निर्धारण करते समय भूमि पर कब्जे की स्थिति को ध्यान में रखना भी आवश्यक है। रिकार्डेड खातेदार जिसका विवादित आराजी पर कब्जा काश्त हो, उसे अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करना वैधानिक रूप से उचित नहीं माना जा सकता। अस्थायी निषेधाज्ञा तभी जारी की जा सकती है, जब वादी प्रार्थी का उस समय वाद भूमि पर कब्जा हो। संदर्भित प्रकरण में रिकार्डेड खातेदार जो

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

विवादित भूमि पर काबिज काश्त है, के विरूद्ध दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में एवं बिना जांच रिपोर्ट के अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश जारी करना विधिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं माना जा सकता।

अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत अन्तर्गत धारा 212 के प्रार्थना पत्र में मुख्य रूप से उल्लेखित बिन्दु जैसे–सेटलमेंट विभाग द्वारा बिना किसी सक्षम अधिकारिता के सेटलमेंट जमाबंदी संवत 2020–39 में विवादित आराजी पर सुरजा बेवा मदनगोपाल को खातेदारी अधिकार प्रदान करना और सुरजा द्वारा अपने जीवनकाल में रमेशचन्द्र के पक्ष में निष्पादित रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर अप्रार्थीगण के पक्ष में दर्ज नामातंरण संख्या 738 दिनांक 09.07.2001 विधि विरूद्ध है, इन सब विवादित तथ्यों का अंतिम रूप से निस्तारण मूल वाद के निर्णय में उभयपक्ष द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तोवजी साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर किया जाना है। प्रार्थी ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में यह भी अंकित किया है कि अप्रार्थीगण विवादित आराजी को प्लाट बनाकर विक्रय करने एवं खुर्द–बुर्द करने पर आमदा है परंतु प्रार्थी द्वारा विक्रय या बेचान से संबंधित कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। विवादित आराजी खसरा नं. 420/635 रकबा 0.03 बीघा खेडा 2 तथा आराजी खसरा नं. 460 रकबा 12.11 बीघा किस्म बारानी तृतीय जो वर्तमान में अप्रार्थी अपीलांट की खातेदारी में दर्ज है तथा आराजी खसरा नं. 55 रकबा 03 बीघा 7 बिस्वा किस्म काजू, खसरा नं. 505 रकबा 12 बीघा 15 बिस्वा किस्म उतार अव्वल जो माफी मंदिर श्री लछमन जी विराजमान सीताबाडी के खाते दर्ज रही है, उक्त दोनों आराजियात एक ही है, यह अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तोवेजों से साबित नहीं होता। दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में केवल प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के आधार पर विवादित आराजी को माफी मंदिर श्री लछमन जी विराजमान सीताबाडी के खाते की आराजी मानते हुए एक रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करना विधिसम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.06.2024 अपास्त किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

14/02/2025

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा